भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2985

दिनांक 17/12/2025 को उत्तर के लिए

युवा संसद प्रतियोगिताएं

2985. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताओं के माध्यम से विधायी प्रक्रियाओं में छात्रों की सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रारूप विधेयकों के विधि बनने से पूर्व उन पर सार्वजनिक विचार-विमर्श करने के लिए कोई विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है; और

(ग) मंत्रालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट और प्रदर्शन सूचकांकों को आम लोगों के लिए किस प्रकार सुगम बना रहा है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित हितधारक संगठनों के समन्वय से दिल्ली के विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (नई पहल) और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। युवा संसद प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतें विकसित करना और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता पैदा करना तथा विद्यार्थियों को संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं को जानने में सक्षम बनाना तथा लोकतांत्रिक तरीके से अपना जीवन जीने के लिए सरकार की कार्यप्रणाली, संवैधानिक मूल्यों के बारे में उनका ज्ञान वर्धन करना है।

(ख) प्रारूप विधेयकों के विधि बनने से पूर्व उन पर सार्वजनिक विचार-विमर्श करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा कोई विशेष प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है।

(ग) यह मंत्रालय नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो आम जनता के लिए सुलभ दस्तावेज़ हैं।

*****